

## जन सूचना

सभी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आगामी परीक्षाओं में आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों की पहचान का सत्यापन 'आधार' कार्ड के माध्यम से किए जाना प्रस्तावित है।

रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने तथा प्रतिरूपण के प्रयासों को रोकने के लिए उम्मीदवारों की सही पहचान हो यह महत्वपूर्ण है। पहचान का यह तरीका उम्मीदवारों के लिए भी सुविधाजनक एवं परेशानी मुक्त होगा।

आधार अधिनियम के प्रावधान तथा नियम दिनांक 14 सितंबर 2016 से लागू हैं तथा इससे संबंधित अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। आधार अधिनियम 2016 की धारा 57 के अनुसार किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है।

तदनुसार, ऐसे उम्मीदवार जो रेलवे में नौकरी पाने हेतु इच्छुक हैं से अनुरोध है कि वे आधार कार्ड बनवा लें तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अपना 12 अंकों का आधार नंबर दें। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने आधार कार्ड हेतु पंजीकरण करवा लिया है परंतु आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, वे 28 अंकों का आधार पंजीकरण नंबर आवेदन करते समय दे सकते हैं। उम्मीदवार की पहचान सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के द्वारा उम्मीदवारों के अंगुली के निशान को आधार सर्वर में उपलब्ध उनकी अंगुली के निशान से मिलान हेतु आधार नंबर का उपयोग किया जाएगा।

इच्छुक उम्मीदवार जो रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में आवेदन करना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे आधार पंजीकरण केंद्रों से यथाशीघ्र संपर्क कर अपना पंजीकरण करवा लें।

उपरोक्त प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय तथा आसाम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में लागू हैं। जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय तथा आसाम राज्यों के उम्मीदवारों को ऑन-लाइन आवेदन फॉर्म में अपना मतदाता पहचान पत्र नंबर, वैध पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अथवा अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र नंबर भरना होगा।

रेलवे भर्ती बोर्ड